49

दिनांक 20.02.2010 को 11.00 बजे पूर्वाहन में जिलास्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी के अनुसार।

अनुपस्थित-

1. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, राँची
2. कार्यपालक अभियंता, पी0डब्ल्यू0डी0, राँची

उक्त अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

माननीय अध्यक्ष जिलास्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

विभिन्न विभागों द्वारा कियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई एवं निम्नांकित निर्णय लिए गए:-

1. गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।
2. **पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल:-** सर्वप्रथम उपस्थित संदस्यों का स्वागत करते हुए उपायुक्त, राँची द्वारा जानकारी दी गई कि आज की तिथि में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के साथ-साथ प्रबंध पर्षद की भी बैठक आहूत की गई है। इसके पूर्व दोनों बैठकें विगत दो वर्षो के पूर्व ही आयोजित की गई थी। ऐसी बैठकों के आयोजन से हमें माननीय सदस्यों के सुझाव प्राप्त होते है तथा नीतिगत मामलों में निर्णय लेकर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहुलियत होती है।

   माननीय सदस्यों के स्वागत के साथ माननीय अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई। तत्पश्चात् विन्दुवार सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई।

माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल द्वारा ईटकी, बुड़मू, मांडर आदि प्रखंडों में जलमीनार का निर्माण कराया गया है, किन्तु अभी तक जलापूर्ति नही हो रही है एवं कार्य अधूरा है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया

कि बुड़मू में निर्मित जलमीनार के शेष कार्यो के लिए प्राक्कलन तैयार कर विभाग को भेजा गया है किन्तु इसकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नही हुई है। माननीय

अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि 5 मार्च तक सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराया जाये कि उक्त योजनाएँ कबतक पूर्ण होंगी। यह भी निदेश दिया गया कि विभाग से सम्पर्क कर उक्त भेजे गये प्राक्कलन की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी जाये।

(अनुपालन - कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल)

माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया कि बहुत से स्थानों पर बोरिंग करके छोड़ दिया गया है एवं हैन्डपम्प नही लगाया गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा वैसे सभी कार्य एक माह के अन्दर पूरा कराने का आश्वासन दिया गया।

(अनुपालन - कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल)

माननीय अध्यक्ष द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि किस ग्राम, पंचायत, प्रखंड में कितना बोरिंग किया गया है एवं इस वर्ष कितना और करने का लक्ष्य है इस सम्बन्ध मे विधान सभावार/प्रखंडवार विस्तृत प्रतिवेदन प्रतिवेदन 5.03. 2010 तक माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन - कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल)

माननीय सदस्यों द्वारा मांग की गई कि पेयजल से सम्बन्धित सभी योजनाओं का कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व उन्हें इसकी जानकारी दी जाये ताकि वे भी उक्त अवसर पर उपलब्ध रह सके।

उपायुक्त, राँची द्वारा बताया गया कि सभी विद्यालयों में चापाकल लगाया जाना है। माननीय विधायक से उक्त विद्यालयों के लिए में एक-एक चापाकल लगाने हेतु अपने फंड से राशि देने का अनुरोध उपायुक्त द्वारा किया गया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय में चापाकल लगाने के लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक की उपलब्धि के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन दिनांक 5.03.2010 को माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाये।

(अनुपालन - कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल)

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पेयजल से सम्बन्धित सभी योजनाओं का लक्ष्य 31 मार्च 2010 तक पूर्ण कराना है।

नगर निगम से किया गया। माननीय अध्यक्ष द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नगर निगम, राँची को इस पर त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, सिल्ली द्वारा जानकारी दी कि उनके प्रमंडल को 450 चापाकल लगाने का लक्ष्य दिया गया है। अध्यक्ष द्वारा इस लक्ष्य को सभी 18 प्रखंडों में विभक्त कर क्रियान्वित कराने हेतु तैयार कार्य योजना को माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम)

4. ग्रामीण कार्य विभाग (आर0ई0ओ0)

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि तीसरा फेज में 21 योजनाएँ स्वीकृत की गई है, जिसमें 12 योजना का कार्य पूर्ण है एवं 9 योजना का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि सातवां एवं आठवां फेज का कार्य एन0बी0सी0सी0 द्वारा कराया जा रहा है। अगली बैठक में एन0बी0सी0सी0 के पदाधिकारी को भी समीक्षा हेतु बुलाने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त फेज में 500 से 1000 आबादी के ग्रामों को जोड़ने के लिए 11 प्रखंडों में 33 योजनाएँ चल रही है, जिसमें से 9 का कार्य मार्च तक पूर्ण हो जायेगा। 500 से 1000 आबादी के ग्रामों को जोड़ने का लक्ष्य वर्ष 2011 तक पूरा कराना है।

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि एक योजना मे वन विभाग द्वारा आपत्ति के कारण कार्य अवरूद्ध है। बाद में आये वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिन योजनाओं के लिए वन विभाग के जिस भाग के लिए वन विभाग से अनुमति की आवश्यकता है उक्त योजना की सूची एवं वन विभाग के क्षेत्र के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर अविलम्ब अनुमति प्रदान कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अन्दर वैसे सभी योजनाओं मे कार्य कराने हेत अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दी जायेगी।

(अनुपालन - आर.ई.ओ. एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची)

माननीय सदस्य द्वारा बताया गया कि रातु प्रखंड के चितरकोटा में पुल बना हुआ है किन्तु पथ का कुछ भाग रैयती जमीन होने के कारण पथ का निर्माण नही हो सका है एवं आवगमन अवरूद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण जमीन देने के लिए तैयार है। माननीय अध्यक्ष द्वारा कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, राँची को इस पर त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - आर.ई.ओ., राँची)

उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि बहुत से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण निजी भवन में चल रहा है एवं उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी चापाकल लगाया जाना है। अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया है कि सर्वप्रथम यह आकलन कर लें कि किन-किन स्थलों पर चापाकल की आवश्कता है तथा कहाँ मरम्मति की आवश्यकता है तदनुसार कार्रवाई करें तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

(अनुपालन - कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल)

3. **शहरी क्षेत्र जलापूर्ति योजना:-** माननीय सदस्य द्वारा सूचित किया गया कि शहरी क्षेत्रों में अनियमित जलापूर्ति की जा रही है। किसी-किसी क्षेत्र में रात के दो बजे जलापूर्ति की जाती है एवं आम लोगों को इसकी कोई जानकारी नही रहती है, जिसके कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। माननीय सदस्य द्वारा वार्डवार/मोहल्लावार जलापूर्ति हेतु समय निर्धारित करने की मांग की गई। ताकि लोगों को यह जानकारी रहे कि उनके क्षेत्र में कब जलापूर्ति होगी। माननीय अध्यक्ष द्वारा वार्ड/मोहल्लावार जलापूर्ति का समय निर्धारित प्रचारित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

(अनुपालन - कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल)

माननीय सदस्य श्री सावना लकड़ा ने कहा कि कई गाँव ऐसे है जो पंचायत से कटकर शहरी क्षेत्र में मिल गये है किन्तु उक्त क्षेत्रों में न तो ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाने वाली सुविधाएँ ही प्राप्त हो रही है और न ही नगर निगम क्षेत्र से। माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की द्वारा बताया गया कि ऐसे क्षेत्रों में बाजरा, हेहल, नदीटोला, बनहोरा आदि क्षेत्रों में पेयजल की काफी किल्लत है। माननीय सदस्यों द्वारा उक्त क्षेत्रों जलापूर्ति की व्यवस्था करने की मांग की गई। माननीय अध्यक्ष द्वारा ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर एव कार्य-योजना तैयार कर दिनांक 5.03.2.2010 तक प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल)

माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया कि कुछ ऐसे क्षेत्र/मोहल्ले है, जहाँ पर आधा-अधूरा क्षेत्र में ही पाईप लाईन बिछाया गया है एवं शेष को छोड़ दिया गया है। माननीय अध्यक्ष द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल एवं प्रशासक नगर निगम को जानकारी दी गई कि राँची नगर निगम क्षेत्र में 55 वार्ड तथा 465 मुहल्ले है। माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि सभी वार्ड एवं मुहल्ले का गहन सर्वेक्षण कराकर जानकारी दें कि कितने वार्ड/मुहल्लों में जलापूर्ति

आगामी बैठक में आर.ई.ओ., खूंटी को भी बैठक में बुलाने का निदेश दिया गया। चूंकि उनका बहुत सा क्षेत्र राँची में भी पड़ता है।

(अनुपालन - डी.आर.डी.ए., राँची)

5. स्वास्थ्य विभागः-

उपायुक्त,राँची ने बताया कि प्रखंडस्तर, पंचायतस्तर एवं ग्राम स्तर पर ग्राम स्वा0 समिति का गठन करना है, जिसमे प्रत्येक ग्राम स्वा0 समिति को 10,000.00 रूपया ग्राम प्रधान एवं सहिया का संयुक्त खाता खोल कर रखा जाना है। उन्होंने सिविल सर्जन से खातो के अद्यतन प्रगति की जानकारी की मांग की। सिविल सर्जन ने बताया कि 15 मार्च तक ग्राम स्वा0 समिति का गठन एवं खाता खोलने का कार्य पूर्ण हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक को निदेश दिया गया कि यह सुनिश्चित करें कि सभी स्वा0 समितियों को खाता 15 मार्च तक निश्चित रूप से खुल जाये।

माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की ने सिविल सर्जन, राँची से जानना चाहा कि एन्टी रैबिज दवा की अस्पतालों मे उपलब्धता की क्या स्थिति है। सिविल सर्जन ने बताया कि इस दवा हेतु आवंटन उपलब्ध नहीं था, किन्तु उनके द्वारा 8.00 लाख रूपये का उधार दवा की खरीद की गई है एवं इसमें विभाग से अभी तक 5.00 लाख रूपया ही विभाग से प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि पूर्व मे रिम्स में कुत्ता काटे हुए मरीजों की चिकित्सा की गई थी, उसमें से एन्टी रैबिज की दवा बाजार से खरीद की गई है, जिससे कई मरीजों की मृत्यु हो चुकी है इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन, राँची को इसकी जांच कराकर कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - सिविल सर्जन, राँची)

उपायुक्त, राँची द्वारा बताया गया कि उनके क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि expiry date अथवा expiry date के एक दो माह पूर्व की दवा अस्पतालो में रखी गई है, इससे मरीजों की जान भी जा सकती है। माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अस्पताल में expiry date की दवा या कम से कम तीन माह expiry date बचे दवा उपलब्ध नही कराया जाये एवं इसे गंभीरता से लिया जाये।

माननीय विधायक श्री सी0पी0सिंह के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि रातु स्वास्थ्य उपकेन्द्र में विधायक मद से एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया है, किन्तु उक्त एम्बुलेंस का टैक्स अस्पताल द्वारा जमा नही किया जा रहा है, जिसके कारण एम्बुलेंस बेकार पड़ी हुई है। माननीय अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन, राँची को निदेश दिया गया कि वैसे सभी एम्बुलेंस के टैक्स भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(अनुपालन - सिविल सर्जन, राँची)

माननीय अध्यक्ष द्वारा राँची जिले में कहाँ-कहाँ कितने नये अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है और उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, इस आशय का प्रतिवेदन सिविल सर्जन को 5 मार्च 2010 तक माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि जो अस्पताल बन कर तैयार हो गये है वैसे अस्पतालों में आवश्यक सामग्रियों के लिए कार्य योजना तैयार कर आवंटन एव कय की स्वीकृति हेतु संबंधित विभाग में समर्पित करें तथा आगामी बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन के साथ भाग लें।

(अनुपालन - सिविल सर्जन, राँची)

माननीय अध्यक्ष द्वारा सभी विभाग के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उनके विभाग से कौन सी योजनाएँ, चल रही है, क्या-क्या कार्य हुए है, कौन से कार्य का लक्ष्य है और अद्यतन उपलब्धि क्या है? इस सम्बन्ध में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ ही बैठक में भाग लेंगे।

(अनुपालन - सिविल सर्जन, राँची)

माननीय अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन, राँची को निदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम चार से पांच अस्पताल का कार्य 30 मार्च तक निश्चित रूप से प्रारंभ कराया जाये एवं इस आशय का प्रतिवेदन सभी माननीय सदस्यों तथा जिला को समर्पित करेंगे।

(अनुपालन - सिविल सर्जन, राँची)

श्री गोपाल कृष्ण पातर, माननीय सदस्य द्वारा बताया गया कि बुण्डू अस्पताल में चिकित्सक, ए0एन0एम0 आदि कोई भी कर्मी 24 घंटे उपलब्ध नही रहते है। माननीय अध्यक्ष द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए चिकित्साकर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निदेश सिविल सर्जन, राँची को दिया।

(अनुपालन - सिविल सर्जन, राँची)

माननीय अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन, राँची को निदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रखंड के किस अस्पताल मे कौन-कौन चिकित्सक पदस्थापित है उसकी सूची कल तक सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाये।

(अनुपालन - सिविल सर्जन, राँची)

माननीय विधायक प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि रातु प्रखंड के काटूलहना स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण तीन वर्ष पूर्व किया गया है, किन्तु अभी तक कोई भी डाक्टर उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में नही बैठते है। माननीय अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन राँची को त्वरित कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से माननीय सदस्य/जिला को अवगत कराने का निदेश दिया गया। (अनुपालन - सिविल सर्जन, राँची)

6. **शिक्षा विभागः-**

जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची द्वारा बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 102.00 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध 55 विद्यालयों में भवन निर्माण कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में 20 विद्यालय भवनहीन है। ग्राम शिक्षा समिति के लिए जितनी राशि प्राप्त हुई थी सभी राशि ग्राम शिक्षा समिति को उनके खाते में हस्तांतरित करा दिया गया है। यह भी बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय से 250 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति उच्च विद्यालयों में की गई है। विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके कारण पठन-पाठन कार्य में कठिनाई हो रही है। उनके द्वारा बताया गया कि 158 ऐसे विद्यालय है जिसमें मात्र एक ही शिक्षक पदस्थापित है। राँची जिला में सभी विद्यालयों के लिए शत प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव हो रहा है। माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची को निदेश दिया गया कि प्रखंडवार प्रतिवेदन समर्पित किया जाये कि किन-किन विद्यालयों में मात्र एक ही शिक्षक कार्यरत है एवं निर्माणाधीन विद्यालय कहाँ -कहाँ है एवं विद्यालयवार अद्यतन स्थिति क्या है, कितने विद्यालय को अपग्रेड किया गया है।

(अनुपालन - जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची)

माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया कि विद्यालयों के लिए खेल-कूद सामग्री का कय किया गया है, किन्तु इसे या तो कमरा में बंद कर रख दिया गया है या शिक्षक अपने घर में रखें हुए है। इन खेल सामग्रियों का कोई उपयोग नही हो रहा है। माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को खेल-सामग्रियो का उपयोग सुनिश्चित करने एवं अनुपालन से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची)

45

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समीक्षा के दौरान बताया गया कि राँची जिले में 116 उच्च विद्यालय है, जिसमें 572 शिक्षक कार्यरत है । राजकीयकृत विद्यालयों में 300 रिक्तियाँ है, जिसके विरूद्ध प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय से 250 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर पठन-पाठन का कार्य कराया जा रहा है। माननीय विधायक द्वारा बताया गया कि उमेडंडा विद्यालय में एक भी शिक्षक कार्यरत नही है, जिसके कारण पठन-पाठन का कार्य अवरूद्ध है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रत्येक प्रखंड में दो-दो मॉडल उच्च विद्यालय का निर्माण कराया जाना है। माननीय अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कितने विद्यालय में एक शिक्षक है, कितने विद्यालय शिक्षक विहीन है, कितने नये विद्यालय का निर्माण कहाँ-कहाँ कराया जा रहा है एवं अद्यतन स्थिति क्या है इससे संबंधित प्रतिवेदन 5 मार्च 2010 तक सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाये।

(अनुपालन - जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची)

माननीय सदस्य द्वारा बताया गया कि कस्तूरबा आवासीय उच्च विद्यालय विवादित है। माननीय अध्यक्ष द्वारा अविलम्ब विवाद हल कर कार्य कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची)

7. **कल्याण विभाग:**-माननीय सदस्य द्वारा बताया गया कि ओरमांझी प्रखंड के सदमा में छात्रावास का निर्माण कराया गया है, किन्तु इसका उपयोग नही हो रहा है। ककरिया छात्रावास के बारे में बताया गया कि उक्त छात्रावास का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है, किन्तु इसके रख-रखाव की स्थिति अत्यंत खराब है। जिला कल्याण पदाधिकारी को उक्त दोनो छात्रावासों के लिए त्वरित एवं समुचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। माननीय अध्यक्ष द्वारा कल्याण विभाग से कितने छात्रावास/विद्यालय का निर्माण कराया गया है इसकी अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन - कल्याण विभाग, राँची)

7. **सांसद/विधायक:**- माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की द्वारा बताया गया कि सांसद/विधायक मद से कियान्वित योजनाओं की स्थिति अत्यंत खराब है। वर्षो से योजनाएँ आधी-अधूरी है एवं इसे पूर्ण नही कराया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष द्वारा उप विकास आयुक्त, राँची को ऐसे सभी लंबित योजनाओं की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - उप विकास आयुक्त, राँची)

माननीय विधायक श्री बंधु तिर्की ने कहा कि वन क्षेत्र में कई ग्राम बसे हुए है एवं बच्चों द्वारा उक्त क्षेत्र के खाली पड़े भूमि को समतल कर खेल मैदान बनाने एवं बच्चों को खेलकूद पर वन विभाग द्वारा आपत्ति जताई जाती है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसे क्षेत्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाये। नरेगा अन्तर्गत योजनाएँ लेकर उनके विभाग द्वारा उसे समतल किया जायेगा, जिसका उपयोग बच्चों के खेल-कूद के लिए किया जा सकता है।

(अनुपालन - जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची)

9. **बी0आर0जी0एफ0:-**

माननीय विधायक श्री बंधु तिर्की द्वारा जिला परिषद से मांडर प्रखंड के टांगरबसली में निर्माणाधीन पंचायत भवन की योजना के सम्बन्ध में बताया गया कि उक्त योजना का कार्य 'प्रारंभ' प्रतिवेदित किया गया है, किन्तु वास्तव में उक्त योजना में कोई कार्य नही हुआ है। जिला अभियंता, जिला परिषद, राँची से उक्त सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। जिला अभियंता, जिला परिषद द्वारा बी0आर0जी0एफ0 की सभी योजनाओं को माह मार्च तक पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया। (अनुपालन - जिला अभियंता, जिला परिषद् राँची)

10. **मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना:-**

कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0-II, राँची द्वारा बताया गया कि मुख्य मंत्री सेतु योजना अन्तर्गत 59 योजनाएँ राँची जिला में कार्यरत है। माननीय अध्यक्ष द्वारा विधान-सभावार प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - कार्यपालक अभियंता, एन.आर.ई.पी.-2, राँची)

11. माननीय सदस्य द्वारा बताया गया कि बहुत जगहों पर मार्केटिंग कम्पलेक्स बना हुआ है, किन्तु अभी तक हैन्डओवर नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की गई।

12. **ग्रामीण हाट का निर्माण:-** उपायुक्त, राँची द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा 15.00 लाख रुपये की दर से ग्रामीण हाट निर्माण हेतु राशि प्राप्त हुए है। इस राशि से सड़कों पर चल रहे बाजार हाट को सड़क के किनारे स्थानान्तरित करने हेतु माननीय जनप्रतिनिधिगण से सहयोग की अपेक्षा है। उपायुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि अगर बाजार हाट को रोड के किनारे ले जाया जाता है तो उक्त स्थल पर

अन्य आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का कार्य भी कराया जायेगा एवं सुगमता हेतु पहुंच पथों का भी निर्माण कराया जायेगा।

(अनुपालन - प्रबंध पर्षद)

13. **क्षतिपूर्ति:**-माननीय विधायक श्री बंधु तिर्की द्वारा बताया गया कि आँधी-तूफान से मांडर, चान्हों, बुड़मू, कांके एवं बेड़ो प्रखंड मे कई घर क्षतिग्रस्त हो गये है एवं किसानों के फसल क्षतिग्रस्त हो गये है। क्षतिग्रस्त घरों एवं फसलों के लिए मुआवजा भुगतान की कार्रवाई अविलम्ब की जाये। उपायुक्त, राँची द्वारा अपर समाहर्त्ता, राँची को दो दिनों के अन्दर उक्त प्रखंडों का भ्रमण कर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - अपर समाहर्त्ता, राँची)

माननीय विधायक श्री गोपाल कृष्ण पातर द्वारा बताया गया कि तमाड़ अंचल अधिकारी को आपदा से सम्बन्धित बड़ी संख्या में आवदन पत्र भेजा गया है किन्तु अभी तक एक भी मामले में कोई कार्रवाई नही की गई है। माननीय अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में अंचल अधिकारी तमाड़ को कृत कार्रवाई सम्बन्धी अद्यतन प्रतिवेदन से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - अंचल अधिकारी,तमाड़)

14. **विद्युत विभाग:**- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विद्युतीकरण का कार्य एन0टी0पी0सी0 द्वारा कराया जा रहा है। उक्त योजना के तहत अभी तक 1076 लक्ष्य के विरूद्ध 56 ग्रामों मे ट्रान्सफॉर्मर लगाये गये है। तीन माह के अन्दर 500 और ट्रान्सफॉर्मर लग जायेगे। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति डेढ़ वर्ष में किया जाना है। माननीय विधायक श्री सावना लकड़ा ने कहा कि इस योजना के तहत ए0पी0एल0 को मात्र एक बल्ब जलाने की अनुमति है जो सुविधानुकूल एवं सही नही है। उन्होने यह भी कहा कि ए0पी0एल0 को भी भुगतान के आधार पर कनेक्शन दिया जाना चाहिए। 10 के0भी0ए0 का ट्रान्सफॉर्मर लगाया जा रहा है जो उपयुक्त नही है। बिजली विभाग के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह नीतिगत निर्णय का मामला है एवं आदेशानुसार ही 10 के0भी0ए0 का ट्रान्सफॉर्मर लगाया जा रहा है। उन्होने कहा कि एक ग्राम के लिए कम से कम 63 या 100 के0भी0ए0 का ट्रान्सफॉर्मर उपयुक्त हो सकता है। माननीय अध्यक्ष द्वारा इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव उपायुक्त, राँची के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजने का निदेश दिया गया। (अनुपालन - कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति विभाग, राँची)

मानीय विधायक द्वारा बताया गया कि तमाड़ प्रखंड के सारजमडीह ग्राम के ग्रामीणो द्वारा 7 वर्ष पूर्व विद्युत कनेक्शन हेतु राशि जमा की गई, किन्तु अभी तक उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया है। माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि कितने ग्रामों में कनेक्शन के लिए राशि जमा की गई है, एवं लक्ष्य के अनुरूप ट्रान्सफोर्मर लगाने की अद्यतन स्थिति क्या है, इस आशय का प्रतिवेदन समर्पित किया जाये।

(अनुपालन - कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति विभाग, राँची)

15. कृषि विभाग:-

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष सुखाड़ के कारण 30 प्रतिशत ही पैदावार हुई है। लक्ष्य के अनुरूप सभी प्रखंडों में सीड का बितरण किया गया है। माननीय विधायक श्री बंधु तिर्की ने कहा कि बीज वितरण सही ढंग से नहीं किया गया है, जहाँ एवं जिस प्रखंड में जिस बीज की आवश्यकता ही नहीं वहाँ पर वितरण किया गया है तथा कुछ बीज उपयुक्त व्यक्ति को प्राप्त नहीं कराया गया है। अध्यक्ष द्वारा Specific मामले का उल्लेख करने का सुझाव दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके विभाग से लिफ्ट इरिगेशन का भी निर्माण कराया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष द्वारा विधानसभावार लिफ्ट इरिगेशन हेतु योजनाओं की सूची तैयार कर संबंधित माननीय विधायक को 5.03.2010 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि लाभुकों की जो सूची उपायुक्त को अनुमोदन हेतु समर्पित किया जाता है उस सूची से माननीय सांसद/विधायक संतुष्ट है इसे सुनिश्चित कर लिया जाये। इसके अतिरिक्त 16 पावर टिलर का बितरण किये जाने सम्बन्धी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा दी गई।

16. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :-

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि इस योजना अंतर्गत प्रति इकाई लागत 2.15 लाख निर्धारित है, जिसमें से 0.53 लाख किसान को लगाना है। कुल 128 इकाईयाँ लगाई जानी है। अबतक 56 इकाईयों का क्रियान्वयन आरंभ हो गया है, जिसमें 20 इकाईयाँ कारगर ढंग से कार्य कर रही है। एक इकाई में 20 से 30 एकड़ भूमि सिंचित होती है।

अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि इन योजनाओं को मेगा फूड पार्क से जोड़ा जाय ताकि अधिक से अधिक किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

माननीय सदस्यों द्वारा जानकारी दी गई कि यद्यपि 5 नये प्रखंड सृजित किये जा चुके है, किन्तु इन प्रखंडो मे आवश्यक आधारभूत प्रशासनिक व्यवस्था नही किये जाने से प्रखंडो का सृजन उद्देश्य विहीन हो गया है। माननीय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के इस भावना से मुख्य सचिव को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

17. पंचायत सचिवालय :-

माननीय सदस्यो को जानकारी दी गई कि प्रत्येक पंचायत का एक सचिवालय होगा, जिसके निर्माण पर लगभग 20.00 लाख रुपये की लागत आयेगी। इस राशि से 10.00 लाख रुपये महात्मा गांधी नरेगा योजना से तथा 10.00 लाख रुपये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष से दिया जायेगा। आसन्न पंचायत चुनावो को देखते हुए सभी ऐसे पंचायतों को चिन्हित कर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया, जिनके अपने भवन नही है।

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भविष्य मे अलग-अलग विभागो के लिये तिथि का निर्धारण कर बैठक मे गहन समीक्षा की जाय, ताकि सभी विभागो और विषयो का पूर्ण आकलन किया जा सके।

अंत में उपायुक्त के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-
(सुबोधकान्त सहाय)
अध्यक्ष,
जिलास्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति,
राँची

ज्ञापांक 1306 जि0ग्रा0, दिनांक 29/4/2010

प्रतिलिपि:- सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, राँची जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(सुबोधकान्त सहाय)
अध्यक्ष,
जिलास्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति,
राँची

ज्ञापांक 1306 जि.ग्रा. दिनांक 29/4/2010

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/4/10
उप विकास आयुक्त,
राँची।